




अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

| वादी  | बनाम | प्रतिवादीगण  |
|---|------|--|
| जीवनदान पुत्र शंकरदान<br>जाति चारण, निवासी गूंगा<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर |      | अर्जून पुत्र छुगा<br>जाति माली, निवासी अम्बावाड़ी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>वगैरा (06) |

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 53,188)

मुकदमा नम्बर 89/2022

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व<br>तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुकम की<br>तामील में<br>जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 27.06.2022    | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 03/08/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     सहायक कलक्टर<br/>                     शिव (बाड़मेर)                 </p>   | <p>2866-2872</p> <hr/> <p>29/6/22</p>                               |
| 03.8.22       | <p>पत्रावली पेश हुई।<br/>वादी अधिवक्ता उपस्थित।<br/>वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेवरी शिफ्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता भ्रमणान दाल जोमल द्वारा प्रतिवादी सख्त 5 की ओर से तथा अधिवक्ता ईश्वरकिंदे राठी द्वारा प्रतिवादी सख्त 1 की ओर से वकालतगणे पेश किए, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सख्त 1 व 5 के जवाब तथा शेख प्रतिवादीगण का इत्तफा होकर दिनांक 07.9.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p> |   |
| 7/9/22        | <p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12/10/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>   |   |

28.07.15

पत्रावली पेशा वारी बकीत उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते 102 शिव से विकल्प  
प्रस्ताव का इस्तेमाल होकर दिनांक 21.08.15  
को पेश हो।

21.08.25

पत्रावली पेशा वारी।  
वारी बकीत उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली वास्ते 102 शिव से विकल्प  
प्रस्ताव का इस्तेमाल होकर दिनांक 21.08.15  
को पेश हो।

26.09.25

पत्रावली पेशा वारी बकीत अनुपस्थित।  
पत्रावली में उम्मावी करमी हेतु न्यायालय प्रस्ताव  
में वारी व वारी अधिकारों का रुक-रुक कर  
भावार्थ ही जाने के बावजूद अनुपस्थित। मत  
पत्रावली में कोई उम्मावी करमी नहीं होने  
तथा वारी व वारी अधिकारों के अनुपस्थित  
रहने पर उम्मा वाद अलग हाजरी व अलग  
पेशा में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर में कम होकर दाखिल  
करा है।